

# डिगरी व मुकदमे इक्वदाई

(ओ. 20 रु. 6-7 जाया दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी  
व इजलास श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

वादीगण:-

1. वीरमाराम पुत्र वालाराम
2. चैनाराम पुत्र वालाराम
3. अमराराम पुत्र वालाराम
4. गंगाराम पुत्र वालाराम
5. जाति जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
6. तीजोंदेवी पुत्री वालाराम पत्नी सवाईराम जाति जाट निवासी मंगले की बेरी हाल निवासी राणासर खुर्द तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
7. लालीदेवी पुत्री वालाराम पत्नी वनाराम जाति जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील गुडामालानी हाल निवासी खूमे की बेरी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. वालाराम पुत्र जवानाराम
2. जेठाराम पुत्र वालाराम  
जाति जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते पाने घोषणा

निर्णय दिनांक : 24.09.21

प्रकरण संख्या :- 15/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण जोगाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा मंगले की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 15/5, 15/13, 15/2 रकबा क्रम 1: 15-07, 41-13, 73-09 बीघा कुल रकबा 130-09 बीघा किस्म बारानी सोयम की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/7-1/7 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुडामालानी इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।



कमांक: वाचक/2021/ 692

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुडामालानी।

(प्रमोद कुमार)  
सहायक कलक्टर, गुडामालानी  
(S.D.O.) गुडामालानी

दिनांक : 24.09.21



(प्रमोद कुमार)

सहायक कलक्टर, गुडामालानी  
(S.D.O.) गुडामालानी